BEFORETHENATIONALGREENTRIBUNAL,PRINCIPALBENCH,DELHI

OriginalApplication134/2022and267/2022

IntheMatterof:

Tejasvi Chandra ---Applicant

Vs.

Madhu Kamboj ---Respondent

NDOH:08.04.2024

INDEX

Sl.No.	Particulars	Page No.
1.	Action taken report on behalf of District Magistrate, Dehradun with respect to order dated 12.02.2023.	
2.	**Annexure-A** New Joint Committee report dated 11th March2024.	
3.	**Annexure –B** Approval by PESO.	
4	**Annexure-C-** MapApprovedby MDDA.	
5	**Annexure-D-**Letter by Member secretary, UKPCB regarding cancellation of NOC before the Hon'ble NGT, NewDelhi.	
6	**Annexure-E-** Cancellation of NOC by the Undersigned.	
7	**Anexure-F-** Application for exemption from personal appearance before the Hon'ble Tribunal.	

Filedby

Dehradun
DATED:3rdApril2024

Sonika
District Magistrate
Dehradun

District Magistrate

BEFORETHENATIONALGREENTRIBUNAL,PRINCIPALBENCH,NEWDELHI

OriginalApplication 134/2022and267/2022

IntheMatterof:

Tejasvi Chandra **---Applicant**

Vs.

Madhu Kamboj **---Respondent**

SUBJECT: <u>STATUS REPORT&REPLY ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, DEHRADUN WITH RESPECT TO ORDER DATED 12.02.2024.</u>

<u>MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-</u>

That In the present case, the Hon'ble Tribunal have observed and passed an order as follows:

19. That the District Magistrate, Dehradun had sent report dated 17.10.2022 by post.In the report the District Magistrate, Dehradun has mentioned that outlet in question has been setup incompliance with CPCB Guidelines. Letter for setting up the outlet was issued on 28.04.2021 and the retail outlet was started on 30.04.2021. The process for setting up the petrol pump had commenced in the year 2018 and there commendation was made before 07.01.2020 and in view thereof CPCB guidelines dated 07.01.2020 were not applicable to the outlet in question.

District Magistrate
Dehradun

20. Reliance was placed on letter dated 29.01.2021 issued by Mr. P.K. Gupta, Additional Director and Head AQM Division mentioning that the siting criteria for new Retail Outlets is to be complied with in cases where construction of Retail Outlets by Oil Marketing Companies commenced on or after 07.01.2020. In other words, the siting criteria will not apply to those cases where PESO prior clearance/ initial approval has been obtained and subsequently construction has been started by the OMC before 07.01.2020.

21. The questions which arise in the present case are as to when PESO clearance/initial approval was granted and when construction of the retail outlet commenced. In case the clearance was granted and the construction commenced before the 07.01.2020 then CPCB guidelines 07.01.2020 will not be applicable but in case such clearance was granted and the construction commenced after 07.01.2020 the said guidelines will be applicable.

22. "In the present case the District Magistrate, Dehradun unreasonably delayed submission of his report and while submitting his report did not look into the relevant facts and obtain the relevant documents and did not submit properly reasoned report with due application of mind to this Tribunal and did not enclose the documents essentially required with his report and thereby failed to comply the order passed by this

District Magistrate
Dehradun

Tribunal and show cause notice be issued to him as to why order for taking appropriate action including direction for his prosecution should not be passed by this Tribunal for non-compliance with the order passed by this Tribunal".

23 " The applicant is directed to file copy of PESO clearance when the PESO clearance was granted and also copies of all relevant documents including sanction site plan, as the case may be, to show as to when the construction of retail outlet commenced.

24. Joint Committee constituted by this Tribunal is also directed to further verify the facts, obtain all relevantdocuments and submit a report as to when PESO clearance was granted and when construction of the retail outlet commenced.

25 Reply to show cause notice by the District Magistrate, Dehradun, response by respondent no. 1 and report by the Joint Committee be filed within one month by email atjudicial-ngt@gov.in. preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

District Magistrate
Dehradun

Parawise reply on behalf of undersigned & Action taken report.

1. That reply to the order of Hon'ble Tribunal from serial no 19-24, it is humbly submitted that no report was ever prepared by the undersigned and the same was prepared by the then ADM (E) and the entire proceedings in the above mentioned matter was under the observation of the then ADM(E). It is further submitted that the report which has been sent to the Hon'ble Tribunal through an office letter no. 306/Prasha.Adhi.-Sthapna-2022 dated October 17, 2022 was also sent by the then ADM(E). The undersigned clarifies that the report was prepared by the then ADM (E), not bythe District Magistrate, Dehradun.

2. That it is imperative to highlight that the undersigned was apprised by the above mentioned matter on 28thJanuary2023. That Thereafter, on receiving the order of the Hon'ble Tribunal dated12.02.2024 in the office, the undersigned directed the presently working Additional District Magistrate(E), Dehradun to jointly inspect the said outlet with Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board. On 11.03.2024, a joint committee of Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun and Additional District Magistrate(E), Dehradun conducted site investigation/ inspection, in which it was found that the distance between the said retail outlet and Sierra International schools is 0.0m, that there is no distance between the two. The distance from the dispensing unit of the retail outlet to the school wall is less than 10 meters. Due to which at present the said petrol pump does not meet the standards of the guidelines issued by the Central

District Magistrate

Pollution Control Board. The Copy of said report is annexed herewith and marked as **AnnexureA**.

3. It is also mentioned in the joint inspection report that PESO has given approval for the storage of 60KL petroleum producton on 30.04.2021 and the map of the proposed retail outlet has been approved by Mussoorie Dehradun Development Authority on 20.06.2022. The Copy of said approval is annexed here with and marked as **AnnexureB** and **AnnexureC.**

4. It is further submitted that the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board , Dehradun vide his letter no. UKPCB/H.O/ Sa-183- 551 /2022 /164dated 18.04.2022 and letter no. UKPCB/ H.O/Sa-183-562 /2022 / 595 dated 12.07.2022, has sent information regarding cancelling the permission issued for the establishment of the said petrol pump (M/s Ravindra Fuel Outlet) as per the rules and also directed to inform the Hon'ble National Green Authority. The Copy of the said report of UKPCB annexed herewith and marked as **AnnexureD.**

5. In view of the above, the undersigned in accordance with the letters dated 18.04.2022 and 12.07.2022 of the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun and in compliance with the instructions given by the Hon'ble National Green Tribunal in present matter, the committee jointly inspected the said outlet on 11.03.2024. As per the

District Magistrate
Dehradun

committee report dated 11.03.2024, the no objection cettificate-268/Pari.-2020-21 dated March 20, 2021 issued to petrol pump (M/s Ravindra Fuel Outlet) operated inkhataNo.01106, Khasra No.-1081 Ka (area 0.0710 hectares) of village Mothronwala, Tehsil Sadar, District-Dehradun, has been cancelled with the immediate effect on 28.03.2024 on the ground of not fulfilling the standards of "Siting Criteria of Retail Outlet" prescribed under"Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps". The copy of said order is annexed herewith and marked as **Annexure E.** Though the present order would be subject to the final outcome in above captioned OA no 134/2022&OA no 267/2022.

6. Therefore, in compliance with the orders passed by the Hon'ble GreenTribunal, the NOC-no objection number-268/Pari.-2020-21 dated 20 March,2021, issued for the installation of the said petrol pump(M/sRavindra Fuel Outlet) operated in village Mothronwala, Tehsil-Sadar, District- Dehradun, KhataNo.01106, KhasraNo.-1081Ka (area0.0710hectare) has been cancelled with immediate effect on 28.03.2024 on the ground of not fulfilling the standards of "Siting Criteria of Retail Outlet" prescribed under "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps".

7. That to the reply of serial no 25 of the order of the Hon'ble Tribunal, it is humbly submitted that the matter came to the knowledge of undersigned very late, but the moment undersigned came to know about the matter, due action was

District Magistrate

taken to dispose of the matter as per rules. The delay in the matter is deeply regretted and the undersigned tender her unconditional apology to the Hon'ble Tribunal. The undersigned will also ensure timely disposal of such matters in future and compliance of all the orders and directions of Hon'ble Tribunal within stipulated time.

Prayer:

8. It is therefore most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to accept the apology and appreciate the report submitted before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Dehradun
DATED: 3rd April,2024

(Sonika)
District Magistrate
Dehradun

District Magistrate
Dehradun

Annexure-'A'

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–267 / 2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के अनुपालन में ।

उपरोक्त विषयक अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) देहरादून के पत्र संख्या–402 / प्रशा0अधि0–स्थापना –2024 दिनांक 06 मार्च, 2024 के अनुपालन में पेट्रोल पम्प स्वामी के प्रतिनिधि श्री पीयुष कम्बोज की उपस्थिति में स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 11.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति निम्नानुसार–

1. श्री जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) देहरादून।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

- कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या–402 / प्रशा0अधि0–स्थापना–2024 दिनांक 06 मार्च, 2023 के अनुपालन में पुनः संयुक्त निरीक्षण दिनांक 11.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायी गयी।
  1. पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु 25.11.2018 को इण्डियन ऑयल द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। (संलग्नक–1)
  2- उक्त विज्ञापन के अनुकम में मधु काम्बोज, मोथरोवाला, नियर प्राईमरी स्कूल देहरादून का चयन किया गया, जिसके अनुकम में आवेदक द्वारा 07.12.2019 को रू0 50000 / – सिक्यूरिटी एमाउंट के रूम में IOCL में जमा कराया गया।
  3- 20.11.2020 को IOCL द्वारा प्रदत्त LOI के कम में जिलाधिकारी महोदय, देहरादून द्वारा 20.03.2021 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त आख्या / अनापत्ति के अनुरूप रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी।
  4- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्रांक संख्या–2474 / मानचित्र सेल / 2020–21 / दिनांक 12 मार्च, 2021 में सशर्त सूचित किया गया कि यदि भवन उपविधियों के अनुसार पेट्रोल पम्प के सभी मानक पूर्ण होते हैं तो आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। आवेदक द्वारा मानचित्र संख्या–सी–0342 / 20–21 भी आवेदित किया गया है। तत्कम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 20.06.2022 को प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का मानचित्र स्वीकृत किया गया।
  5- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के पत्रांक संख्या–1334 / जि0पु0आ0–प्रेपो0 / 2020–21 दिनांक 06 जनवरी, 2021 द्वारा रिटेल आउटलेट को डीजल लाइसेंस निर्गत किया गया।
  6- PESO द्वारा 30.04.2021 को 60 के0एल0 पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।
  7- IOCL के पत्र दिनांक 07.09.2022 द्वारा जिला प्रशासन को सूचित किया कि उक्त रिटेल आउटलेट को 25.11.2018 को प्रकाशित विज्ञापन के कम में उक्त रिटेल आउटलेट का चयन 06.12.2019 को कर लिया गया था, जिसकी LOI दिनांक 02.11.2020 को जारी की गई थी।

प्रेषित
20.3.24

पूर्व में किये निरीक्षणानुसार पेट्रोल पम्प के उत्तर दिशा में आउटलेट से लगा **Sierra International School** स्थापित है, पश्चिम दिशा में नगर निगम का खाली प्लॉट स्थापित है व दक्षिण–पूर्व दिशा में Fill Point/Dispensing Units से 40 मीटर की दूरी के अन्तर्गत एक आवासीय घर स्थापित है। आवासीय घर पैट्रोल पम्प स्थापित होने से पूर्व का है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हुआ है। उक्त के अतिरिक्त पैट्रोल पम्प परिसद एवं स्कूल की दीवार आपस में सटी हुई है।

निरीक्षण के समय यह पाया गया कि रिटेल आउटलेट एवं स्कूल के मध्य दूरी 0.0 मी0 है अर्थात दोनो के मध्य कोई दूरी नहीं है। रिटेल आउटलेट की डिस्पेंसिंग यूनिट से स्कूल की दिवार

की दूरी 10 मीटर से भी कम है। जिस कारण वर्तमान समय में उक्त पेट्रोल पम्प राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 07.01.2020 का पालन नहीं करता है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि सम्बन्धित कम्पनी (इंडियन ऑयल कम्पनी लिमिटेड़) द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के कम में तत्समय विभिन्न विभागो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्र दिनांक 15.01.2021, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पत्र दिनांक 12.01.2021 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 02.02.2021 के उप जिलाधिकारी सदर के पत्र दिनांक 04.12.2021, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 08.02.2021 तथा जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के पत्र दिनांक 06.01.2021 के द्वारा प्राप्त आख्याओं/अपानात्ति के आधार पर उपरोक्त रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा दी गई एन0ओ0सी0 दिनांक 20.03.2021 इस प्रतिबन्ध में साथ निर्गत की गई कि भवन निर्माण से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त 06 विभागों से प्राप्त अनापत्ति में अंकित शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेट्रोल पम्प का खसरा नं0 1081क ग्राम मोथरोवाला का भू–उपयोग देहरादून जोनल प्लान के अनुसार 30 मीटर महायोजना मार्ग के पश्चात आवासीय भू–उपयोग है। वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई लगभग 11.00 मीटर है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। उपरोक्त विभागों से प्राप्त आख्याओं में आवासीय भवन/स्कूल/हॉस्पिटल से दूरी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एल0ओ0आई0 दिनांक 30.12.2020 जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के समय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 में निर्गत आवासीय भवन/स्कूल/चिकित्सालय से न्यूनतम दूरी के सम्बन्ध में नियम लागू थे जिस कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 में दिये गये दूरी के मानक उक्त रिटेल आउटलेट पर लागू होते हैं, जिन्हें रिटेल आउटलेट वर्तमान में पूर्ण नहीं करता है।

निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)
देहरादून

Annexure-'B'

भारत सरकार
Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो)
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
63/4, ए-विंग, दूसरा तल, केंद्रालय (सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स), संजय प्लेस
आगरा- 282002
63/4, A-Wing , IInd floor, Kendralaya (CGO Complex), Sanjay Place,
Agra - 282002

E-mail : jtcceagra@explosives.gov.in
Phone/Fax No : 0562 - 2523244,2523266

दिनांक /Dated : 30/04/2021

संख्या /No. : **P/CC/UC/14/1185 (P498168)**

सेवा में
/To,

M/s. Indian Oil Corporation Limited,
DEHRADUN DIVISIONAL OFFICE,,
25, NIMBUWALA, GARHI CANTT,
Dehradun,
Dehradun,
Taluka: Dehradun,
District: DEHRADUN,
State: Uttarakhand
PIN: 248003

विषय /Sub : **Khasra No, 1081 KA MIN, RO AT B/W KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHROWALA ROAD, KHASRA NO. 1081 KA MIN, VILL- MOTHRO WALA, TEHSIL- DEHRADUN, DIST- DEHRADUN, MOTHROWALA, Dehradun, Taluka: Dehradun, District: DEHRADUN, State: Uttarakhand, PIN: 248001** में पेट्रोलियम वर्ग **A,B Retail Outlet** ।
Petroleum Class **A,B Retail Outlet** at **Khasra No, 1081 KA MIN, RO AT B/W KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHROWALA ROAD, KHASRA NO. 1081 KA MIN, VILL- MOTHRO WALA, TEHSIL- DEHRADUN, DIST- DEHRADUN, MOTHROWALA, Dehradun, Taluka: Dehradun, District: DEHRADUN, State: Uttarakhand, PIN: 248001**

महोदय
/Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक **OIN783018** दिनांक **22/04/2021** का अवलोकन करें ।
Please refer to your letter No. **OIN783018** dated **22/04/2021**

विषयान्तर्गत पेट्रोल पम्प में निम्नलिखित पेट्रोलियम पदार्थों के वर्ग तथा मात्रा के भंडारण के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्ररूप - XIV में स्वीकृत तथा दिनांक **31/12/2025** तक वैध अनुज्ञप्ति संख्या **P/CC/UC/14/1185 (P498168)** दिनांक **30/04/2021** भेजी जा रही है ।
Licence No. **P/CC/UC/14/1185 (P498168)** dated **30/04/2021** granted in Form XIV under the Petroleum Rules, 2002 and valid till **31/12/2025** for the storage of the following kind and quantities of Petroleum at the subject petrol pump is forwarded herewith.

<%----%> <%----%><%----%>

पेट्रोलियम का विवरण /Description of Petroleum	किलोलीटरों में अनुज्ञप्त क्षमता /Quantity licenced in KL
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class A in bulk	**20.00 KL**
Petroleum Class A, otherwise than in bulk	**NIL**
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class B in bulk	**40.00 KL**
Petroleum Class B, otherwise than in bulk	**NIL**

Petroleum Class C in bulk	NIL
Petroleum Class C,otherwise than in bulk	NIL
कुल क्षमता /Total Capacity	60.00 KL

कृपया पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन बनाए गए नियम 148 में दी गई प्रक्रिया का कडाई से पालन करें तथा अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु समस्त प्रपत्रों को अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ती की तारीख या उससे पूर्व to **Controller of Explosives, Dehradun**, so as to reach his कार्यालय को प्रेषित करें । Please follow the procedure strictly as laid down in rule 148 of the Petroleum Rules, 2002 and submit complete documents for the Renewal of the licence to **Controller of Explosives, Dehradun**, so as to reach his office on or before the date on which Licence expires.

यह अनुमोदन/ अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नही देती है । This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय /Yours faithfully,

((डा.ए.पी.सिंह)
(Dr. A.P. Singh))
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Jt. Chief Controller of Explosives
आगरा/Agra

Copy forwarded to :-

1. The District Magistrate, DEHRADUN(Uttarakhand) with reference to his NOC No 268/PARI0-2020-21 Dated 20/03/2021
2. The Controller of Explosives, Dehradun. A Copy of the licence along with approved plan is enclosed.

Jt. Chief Controller of Explosives
Agra

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट: http://peso.gov.in देखें)
(For more information regarding status,fees and other details please visit our website: http://peso.gov.in)

Note:-This is system generated document does not require physical signature.

Disclaimer : This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.

Annexure-'C'

Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur road,
Near ISBT, Dehradun-248001
(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100
Fax : +91 135 6603103
Email : info@mddaonline.in
Website : www.mddaonline.in

Sanction Letter

Map No CC-0018/21-22/RE1 Date 20/06/2022
Sector Sector 3

To,
MADHU KAMBOJ
DARSHAN KUNJ, NEW CANAL ROAD, MOTHROWALA,
DEHRADUN, UTTARAKHAND 248001
Dehradun-248001

Your application dated 2022-05-24 17:10:38.0 regarding construction (with enclosed map) proposed by you situated at, BETWEEN KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHOROWALA ROAD, AT KHASRA NO. 1081 KA, MAUZA - MOTHROWALA, PARGANA- PACHHWADOON, Dehradun-248001 has been accepted.

Digitally signed by HARICHAND SINGH RANA
Date: 2022.06.20 12:49:57 IST
Reason: Online Map Approval
Location:-Dehradun

सत्यापित प्रतिलिपि

240

मुख्यालय

Annexure-D

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

कार्यालय दूरभाष सं0:–2976157, 2976158, 2607092

पत्रांकःयूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–551 / 2022 / 164 दिनांकः 18/.04.2022

स्पीड पोस्ट

1.Received under Registered Cevel
2.No....एन0जी0टी0 मैटर EV 888 6 6 33 6 6 IN
3.Dated.......23/4/22......
4.To........ADM / 04 प्र0
Yealy 23/4/22

4057

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–134 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रभारी अधिकारी
आंग्ल अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, देहरादून

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–134 / 2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम मधु काम्बोज में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (संलग्नक–1)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा देहरादून में खाता सं0–01106, खसरा नं0–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोवाला, तहसील सदर, देहरादून (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) में पैट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार खाता सं0–01106, खसरा नं0–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोवाला, तहसील सदर, देहरादून (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) में संचालित पैट्रोल पम्प केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" के अंतर्गत निर्धारित "Siting Criteria of Retail Outlet" का पालन नहीं करती है। सुलभ संदर्भ हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" (यथा संशोधित) एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न हैं (संलग्नक–2 एवं 3)।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त खाता सं0–01106, खसरा नं0–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोवाला, तहसील सदर, देहरादून (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) में पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्गत अनुमति को नियमानुसार निरस्त करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 सुबुद्धि)आई0एफ0एस0
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून।

सदस्य सचिव।

Annexure-D

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001
कार्यालय दूरभाष सं0:-2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक:यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-562/2022/595, दिनांक: 12.07.2022

स्पीड पोस्ट

5670

एन0जी0टी0 मैटर

1. Received under Registered Cover
2. No. DV.88867.6670...
3. Dated ....18/7/22....
4. To. Addl.(C)/ AO ...

सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषय:-मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-267/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

D.M. D.Dun

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0-267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें **(संलग्नक-1)**। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा देहरादून में खाता सं0-01106, खसरा नं0-1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोवाला, तहसील सदर, देहरादून (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) में पैट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून, SEIAA, Uttarakhand एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार खाता सं0-01106, खसरा नं0-1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोवाला, तहसील सदर, देहरादून (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) में संचालित पैट्रोल पम्प केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" के अंतर्गत निर्धारित "Siting Criteria of Retail Outlet" का पालन नहीं करती है। सुलभ संदर्भ हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" (यथा संशोधित) एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न हैं **(संलग्नक-2 एवं 3)**।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त खाता सं0-01106, खसरा नं0-1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोवाला, तहसील सदर, देहरादून (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) में पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्गत अनुमति को नियमानुसार निरस्त करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 सुबुद्धि)आई0एफ0एस0
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून।

सदस्य सचिव।

Annexure 'E'

<u>आदेश</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के द्वारा मोथरोंवाला, तहसील–सदर, जनपद–देहरादून के खाता संख्या 01106, खसरा संख्या–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0) में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलैट) की स्थापना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देहरादून एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त निरीक्षण किये जाने एवं निरीक्षणोपरान्त प्रकरण पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण हेतु गठित समिति की आख्या दिनांकित 30.03.2022 के अनुसार खाता संख्या 01106, खसरा संख्या–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोंवाला, तहसील–सदर, जनपद–देहरादून में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" के अंतर्गत निर्धारित "Siting Criteria of Retail Outlet" के मानकों का पालन नहीं करता है। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–551/2022/164 दिनांकित 18.04.2022 तथा पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–562/2022/595 दिनांकित 12.07.2022 के द्वारा उक्त पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) की स्थापना हेतु निर्गत अनुमति को नियमानुसार निरस्त कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अवगत कराये जाने सम्बन्धी आख्या प्रेषित की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर पारित आदेश दिनांक 24.02.2024 की प्रति कार्यालय में दिनांक 27.02.2024 को प्राप्त हुयी, जिसमें पुनः जांचोपरान्त सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून तथा अपर जिलाधिकारी (प्र0), देहरादून की सदस्यता में गठित समिति द्वारा दिनांक 11.03.2024 को द्वारा पुनः मौके पर जाकर स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त रिटेल आउटलेट एवं Sierra International School के मध्य दूरी 0.0 मी0 है अर्थात दोनो के मध्य कोई दूरी नहीं है। रिटेल आउटलेट की डिस्पिंसिंग यूनिट से स्कूल की दिवार की दूरी 10 मी0 से भी कम है। जिस कारण वर्तमान समय में उक्त पेट्रोल पम्प केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड़लाईन के मानकों को पूर्ण नहीं करता है। संयुक्त निरीक्षण आख्या में यह भी उल्लिखित है कि PESO द्वारा दिनांक 30.04.2021 को 60 के0एल0 पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2022 को प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का मानचित्र स्वीकृत किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" के अंतर्गत निर्धारित "Siting Criteria of Retail Outlet" के मानकों के अनुरूप नहीं है।

कार्यालय जिलाधिकारी स्थापना अनुभाग देहरादून

..........2

(16)

(2)

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशें के क्रम में तथा प्रकरण पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र दिनांकित 18.04.2022 तथा 12.07.2022 के क्रम में एवं प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशें के अनुपालन में स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांकित 30.03.2022 एवं 11.03.2024 के आलोक में मोथरोंवाला, तहसील–सदर, जनपद–देहरादून के खाता संख्या 01106, खसरा संख्या–1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0) में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps" के अंतर्गत निर्धारित "Siting Criteria of Retail Outlet" के मानकों अनुरूप ना पाये जाने के फलस्वरूप उक्त पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्गत अनापत्ति संख्या–268/परि0–2020–21 दिनांक 20 मार्च, 2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

O/C

<u>कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।</u>

पत्रांकः– 417/प्रशा0अधि0–स्थापना–2023–24 दिनांक 28 मार्च, 2024

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवलोकनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0), देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त रिटेल आउटलेट को स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति/आख्या देने वाले सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या में पैट्रोल पम्प की भूमि के निकट स्कूल स्थित होने का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?
4. उपजिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून को प्रकरण पर अग्रेत्तर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, 25–नीम्बूवाला गढ़ी कैन्ट, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त पैट्रोल पम्प पर अवशेष ईंधन (पैट्रोल, डीजल) का नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करें।
9. श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज, निवासी–70 मोथरोंवाला, नियर प्राईमरी स्कूल, देहरादून को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
देहरादून।

O/C

कार्यालय जिलाधिकारी स्थापना अनुभाग देहरादून

244 Annexure-'F'

कार्यालय जिला अधिकारी, देहरादून।

संख्या : 420/ —2023 दिनांक : 2.4.24 ~~मार्च~~, 2024

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या—267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में व्यक्तिगत उपस्थिति (**Personal Appearance**) से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या—267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के द्वारा प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 08.04.2024 को अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2024 प्रथम चरण दिनांक 19.04.2024 को निर्धारित किये गये हैं, जिसमें अधोहस्ताक्षरी जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के साथ—साथ 01—टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर भी अधिकृत है। फलस्वरूप जिला निर्वाचन एवं रिटर्निंग ऑफिसर के चरणबद्ध कार्यकमों को सम्पादित कराने एवं सभी प्रकियाओं का स्वयं अनुश्रवण का दायित्व अधोहस्ताक्षरी का ही है। ऐसी स्थिति में दिनांक 08.04.2024 को मा0 प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

3. प्रश्नगत उक्त प्रकरण मूल आवेदन संख्या—267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में अवगत कराना है कि सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र दिनांकित 18.04.2022 एवं 12.07.2022 तथा गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांकित 30.03.2022 एवं 11.03.2024 के आलोक में खाता संख्या 01106, खसरा संख्या—1081क (कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0), मोथरोंवाला, तहसील—सदर, जनपद—देहरादून में संचालित पैट्रोल पम्प (मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत "**Guidelines for Setting up of New Petrol Pumps**" के अंतर्गत निर्धारित "**Siting Criteria of Retail Outlet**" के मानकों के अनुरूप ना पाये जाने के फलस्वरूप उक्त पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पूर्व निर्गत अनापत्ति संख्या—268/परि0—2020—21 दिनांक 20 मार्च, 2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है (कार्यालय आदेश दिनांकित 28.03.2024 की प्रति संलग्न)।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून DEHRADUN

अतः कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति मा0 प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 तथा अधोहस्ताक्षरी के जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर होने के कारण दिनांक 08.04.2024 को मा0 प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून DEHRADUN.

(सोनिका)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून

प्रतिलिपि –

1. श्री दीपक बोरा, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से कि उपरोक्त वस्तुस्थिति को मा0 प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुये व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान किये जाने हेतु मा0 प्राधिकरण से उक्त के दृष्टिगत आग्रह करें।
2. अपर जिलाधिकारी (प्र0) को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण की अनुपालन आख्या मा0 प्राधिकरण में उपलब्ध कराने हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को दिनांक 03.04.2024 को मा0 प्राधिकरण में भिजवाना तथा दिनांक 08.04.2024 को मा0 प्राधिकरण में किसी सक्षम अधिकारी व पैनल अधिवक्ता के उपस्थित रहने की सुनिश्चितता का स्वयं निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून